

रसीद दस्तावेज इंग्लिश


मुकाम 82

दस्तावेज की तकलीफकारी व कोमत या दस्तावेज की तारीख या किस्म जो मोहरबन्द लिखपा गया हो वित्तके बानत फौज वाफिक हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इशारत

ताबात फौज (अगर ही तो) बाख्त भुसा रजिस्ट्री के मोहदेदार के छोट दस्तावेज

2	3	4
12000/-	1594	
214000/-	1862	
1714		

जय-पंजीयका



॥ श्री ॥

स्टाम्प ड्यूटी रु.	16100.00	नि.मु.214000/-
कारपो ड्यूटी रु.	8560.00	
पंचायत ड्यूटी रु.	2140.00	
कुल रु.	26800.00	

मुनिसिपल कारपोरेशन सीमा के अन्तर्गत प्लॉट नं. 116 विद्यानगर इन्दौर पर निर्माणार्थी भवन पैके तल मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक जी-2 जो कि स्ट्रक्चर तक निर्मित है तथा जिरका सु.बिल्टप एरिया 974.00 वर्गफीट है का विक्रय पत्र


विक्रय मूल्य रुपये 180200/-

यह विक्रय लेख आज दिनांक 17-4-97 को श्री मनज्योति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित (एक पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी संस्था जिरका पंजीयन म.प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के आधीन पंजीयन क्रमांक डी.आर./आय.डी.आर/575 पर दिनांक 12-07-94 को हुआ है) पता 161 जय जगत कालोनी इन्दौर तर्फे अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार पिता श्री हीरानन्दजी गुरनानी निवासी 161 जय जगत कालोनी

--2--

रसमके लिये  
मनज्योति गृह निर्माण सहकारी  
संस्था मर्यादित, इन्दौर

$$\frac{134151350}{12-4-77} \xrightarrow{\frac{5000}{5}} \frac{1000}{1} \xrightarrow{\frac{500}{1}} \frac{100}{3} = 26800$$




श्री. म. स. य. आ. ए. ए. ड. अ. का लक्ष्मी लाल  
 को, शहवाँ नगर प्रकृत नरि प्रकृत  
 अ. स. मो. ३३४५५  
 अ. स. मो. १८०२००

चन्द्रकांत पोरवाल  
 सॉटिप ट्रेडिंग  
 ३७, सिलावटपुरा, इन्वो

जमानत की तिथि के अ. स. य. आ. ए. ड. अ. का लक्ष्मी लाल 16100.  
 अ. स. मो. ३३४५५ २५६०  
 अ. स. मो. १८०२०० २१५०  
 अ. स. मो. ३३४५५ /  
 अ. स. मो. १८०२००

26800  
 श्री. म. स. य. आ. ए. ड. अ. का लक्ष्मी लाल




॥ 2 ॥

इन्दौर म.प्र. (जिन्हें वर्तमान लेख में सुविधा की दृष्टि से "विक्रेता संस्था प्रथमपक्ष" इस नाम से संबोधित किया जा रहा है जिसमें इन्होके समस्त निष्पादक, असाईनिज, प्रशासक, पदाधिकारीगण एवं हितबन्ध व्यक्ति सम्मिलित है) के एवं श्री पुरुषोत्तम पिता श्री मदनलालजी गुप्ता निवासी 33/12 गुराई मोहल्ला इन्दौर म.प्र. (जिन्हें वर्तमान विक्रय लेख में सुविधा की दृष्टि से "क्रेता द्वितीय पक्ष" शब्द से संबोधित किया जा रहा है जिसमें इन्होके समस्त निष्पादक, असाईनिज, प्रशासक, वैद्य उत्तराधिकारी एवं समस्त हितबन्ध व्यक्ति आदि का समावेश है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों एवं दायित्वों के आधिन लिखा जा रहा है ऐसा कि :-

1. यह कि, प्रथम पक्ष संस्था का मुख्य कार्य अपने सदस्यों की आवास समस्या हल करने हेतु स्ट्रक्चर प्रक्रीष्ठ का निर्माण कर अपने सदस्यों को अंतरित करना है। प्रथमपक्ष एक पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी संस्था होकर अपने उद्भवन से आज दिनांक तक निरंतर कार्यरत है।
2. यह कि, द्वितीयपक्ष प्रथमपक्ष संस्था के नियमित सदस्य होकर सदस्यता क्रमांक है।

1392  
12.4.97

2000




ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

ଉପରୋକ୍ତ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା  
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

ଓଡ଼ିଶା

180.200/ ମୁଦ୍ରା ମୁଦ୍ରା ମୁଦ୍ରା  
ଓଡ଼ିଶା



॥ ३ ॥

3. यह कि, प्रथमपक्ष संस्था के मालकी एवं आधिपत्य का एक निर्माणाधीन प्रकोष्ठ भवन जिसका प्लॉट क्रमांक 116 विद्यानगर इन्दौर पर स्थित होकर सदर भूखण्ड की लंबाई 67.5 फीट तथा चौड़ाई 54 फीट होकर इसका कुल क्षेत्रफल 3645 वर्गफीट है। सदर संपत्ति पैकि भूखण्ड प्रथम पक्ष ने बजरी रजि. विक्रय लेख क्रमांक 13/3115 दिनांक 26.12.95 के द्वारा क्रय किया होकर तत्पश्चात इन्दौर नगर निगम से स्वीकृत मानचित्र क्रमांक 4750 दिनांक 16-2-96 के अनुसार सदर प्लॉट पर प्रकोष्ठ भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया है। सदर भवन का स्ट्रक्चरल कार्य हो चुका है।


4. यह कि, प्रथमपक्ष ने म.प्र.प्रकोष्ठ सहस्वामित्व भवन अधिनियम 1976 की धारा 2 के अंतर्गत सदर भवन का घोषणा-पत्र श्रीमान उपपंजीयक महोदय, इन्दौर के कार्यालय दस्तावेज क्रमांक 13/2205 दिनांक 20-9-96 के द्वारा पंजीकृत करा लिया है।

5. यह कि, द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष द्वारा निर्माणाधीन उक्त भवन में से एक स्ट्रक्चर प्रकोष्ठ क्रमांक जी-2 जो कि तल मंजिल पर स्थित है को खरीदने की इच्छा जाहिर करने से प्रथम पक्ष द्वारा स्वीकृती देने पर यह बिक्रीखत लिखा जा रहा है।

6. अतः इस विक्रय लेख द्वारा निम्न लिखित शर्तों पर सदर निर्माणाधीन भवन में से उपरोक्त स्ट्रक्चर प्रकोष्ठ का बिक्रीखत प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के हित में इस प्रकार लिखा जाता है।

1343  
12-4-97

સાચી



૨. ભાવનગર રીઝર્વ બેંક  
કોર્પોરેશનની બંધ

૧) રૂા કરોડો વાવડ  
કોર્પોરેશન

સાચી  
સાચી  
સાચી

સાચી

સાચી

૧) સાચી  
17 APR 1997

સાચી

સાચી  
સાચી



॥ ४ ॥

॥ शते ॥

1. यह कि द्वितीय पक्ष को इस लेख के द्वारा विक्रय किये जा रहे स्टम्बर प्रकोष्ठ का विवरण एवं चतुःसीमा निम्नानुसार है:-

विवरण :-


शहर इन्दौर के प्लॉट क्रमांक 116 विद्यानगर पर नियामणीधीन भवन पैके प्रकोष्ठ क्रमांक जी-2 जो कि उल मंजिल पर स्थित है। तथा जिसका सुपर बिल्टप एरिया 974.00 वर्गफीट है। सदर प्रकोष्ठ का स्टम्बरल कार्य हो चुका होकर प्लारटर,फ्लोर फिनिशिंग, टाइल्स, दरवाजे,खिडकी, रंग-रोगन नल एवं विद्युत संयोजन का कार्य शेष है।

प्रकोष्ठ की चतुःसीमा :-

पूर्व में	:	प्लॉट नं. 115
पश्चिम में	:	प्रकोष्ठ क्रमांक जी-1
उत्तर में	:	पार्किंग
दक्षिण में	:	सड़क

उक्त प्रकोष्ठ जिस भूखण्ड पर स्थित है उस भूखण्ड की चतुःसीमा :-

पूर्व	प्लॉट नं.115
पश्चिम	सड़क
उत्तर	प्लॉट नं.91
दक्षिण	सड़क




॥ 5 ॥

उपरोक्त वर्णन एवं चतुःसीमा के बीच के स्टम्बर प्रकोष्ठ को इस लेख में आगे सुविधा की दृष्टि से "सदर संपत्ति" के नाम से संबोधित किया गया है।

2. यह कि उपरोक्त प्रकोष्ठ प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को कुल रुपये 180200.00 रुपये एक लाख अस्सी हजार दो सौ मात्र में विक्रय कर दिया होकर विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि में से भूमि की लागत राशि रुपये 35064/- प्रथम पक्ष संस्था ने द्वितीयपक्ष से पूर्व में ही प्राप्त कर ली है तथा स्टम्बर निर्माण की लागत राशि रुपये 145136/- प्रथम पक्ष ने डायरेक्ट बिल्डर को दिलवा दी है। तथा अब विक्रय प्रतिफल बाबद प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से कोई राशि लेना शेष नहीं है तथा सदर संपत्ति का रिक्त आधिपत्य प्रथम पक्ष ने द्वितीयपक्ष को सौंप दिया है तथा अब द्वितीयपक्ष सदर संपत्ति का शेष निर्माण कार्य अपने खर्च से पूर्ण करवा लेवेंगे।

3. यह कि, उपरोक्त भवन की आखरी मंजिल की छत व पार्किंग आदि पर प्रथमपक्ष का मालकी हक रहेगा तथा वे अन्य किसी को भी किसी भी प्रकार से अंतरित कर सकेंगे व भविष्य में निर्माण की अनुमति मिलने पर निर्माण कार्य करवा सकेंगे।





॥ 6 ॥

4. यह कि, तल मंजिल के सामूहिक उपयोग की जगह समस्त प्रकोष्ठ आनर्स के सामूहिक उपयोग उपयोग की रहेगी । सदर भवन में आने-जाने का रास्ता, बग़ाव, मोटर पंप इत्यादि पर सभी प्रकोष्ठ आनर्स का सामूहिक उपयोग व उपयोग का अधिकार रहेगा । इस विक्रय में छत के अधिकार सम्मिलित नहीं हैं व सदर भवन के आखिरी मंजिल की खुली छत की मालकी प्रथमपक्ष की रहेगी ।

5. यह कि, उपरोक्त वर्णित संपत्ति के विक्रय पत्र का पंजीयन द्वितीयपक्ष के हित में कर दिया होने से आज तारीख से द्वितीयपक्ष सदर संपत्ति के स्वामी बन गये हैं । स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही द्वितीयपक्ष सदर संपत्ति का पूर्ण निर्माण करा सकेंगे । द्वितीयपक्ष सदर संपत्ति का पूर्ण निर्माण प्रथम पक्ष से या प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत बिल्डर से ही करवायेंगे तथा उसके निर्माण का समस्त खर्च भी द्वितीयपक्ष वहन करेंगे । इस हेतु प्रथम पक्ष का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा ।

6. यह कि सदर भवन के सामूहिक उपयोग की जगहों का उपयोग द्वितीयपक्ष अन्य आक्यूपेंटस के साथ सामूहिक रूप से कर सकेंगे तथा आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे ।

7. यह कि, इस विक्रय लेख से म.प्र. शहरी भूमि सीमा अधिनियम 1976 अथवा अन्य प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं होता है ।

*(Signature)*

--7--



॥ ७ ॥

8. यह कि द्वितीयपक्ष को सदर संपत्ति के एरिया के अनुपात में प्लॉट की भूमि का अनुपातिक हिस्सा पाने का अधिकार भी रहेगा । यह मालकी द्वितीयपक्ष व अन्य समस्त आनर्स के साथ संयुक्त रूप से रहेगी ।
9. यह कि, द्वितीयपक्ष को सदर संपत्ति के कालम,बीम,छत या दिवाले आदि तोड़ने के या उनमें कोई परिवर्तन करने के अधिकारी नहीं रहेंगे । द्वितीयपक्ष ने कोई ऐसा कार्य किया जिससे सदर भवन के किसी भी भाग को नुकसान पहुंचा तो इसकी भरपायी की संपूर्ण जवाबदारी द्वितीयपक्ष की रहेगी । इस बाबद प्रथमपक्ष का कोई उत्तर दायित्व नहीं रहेगा ।
10. यह कि, सदर संपत्ति का पूर्ण निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही द्वितीयपक्ष करवायेगे तथा इस संबंध में जो भी प्रचलित नियम कानून हैं व नियम हैं वह द्वितीयपक्ष पर बंधनकारक रहेंगे ।
11. यह कि, सदर संपत्ति संबंधी लगने वाले समस्त टेक्सेस,व्यय मेन्टेनेंस सोसायटी को देय डिपॉजिट राशि व मासिक आनुपातिक व्यय तथा लीज की आनुपातिक राशि आदि द्वितीयपक्ष वहन करते जावेगें ।

*Subir*



॥ ८ ॥

12. यह कि भवन निर्माण के समय या निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात् शासन, इन्दौर नगर पालिक निगम, शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थओं द्वारा जो नियम प्रचलित किये जावेंगे या भविष्य में नये नियम बनेंगे उन सभी नियमों का पालन द्वितीयपक्ष करेंगे तथा शासन द्वारा लगाया गया कोई भी भार या अधिभार हुआ तो सभी ओनर्स को सामूहिक रूप से आनुपातिक रूप से वहन करना पड़ेगा। इस बाबद प्रथमपक्ष का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

13. यह कि, द्वितीयपक्ष को सदर संपत्ति में विद्युत कनेक्शन स्वयं म.प्र.विद्युत मंडल में डिपोजिट राशि एवं अन्य जो भी आवश्यक व्यय होंगे, जैसे पेनल बोर्ड, ट्रांसफार्मर, केबल, पाईप आदि का व्यय अदा कर विद्युत कनेक्शन अपने नाम से प्राप्त करेंगे और परमानेंट कनेक्शन प्राप्त होने तक जो अस्थायी विद्युत कनेक्शन का बिल आयेगा उसे प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष अन्य समस्त ओनर्स की भांति अदा करेंगे।

14. यह कि, सभी आनर्स को मिलकर एक मेंटेनेंस सोसायटी का निर्माण करना होगा और मेंटेनेंस सोसायटी द्वारा निर्धारित आवश्यक व्यवस्था शुल्क (मेंटेनेंस राशि) नियमित रूप से द्वितीयपक्ष जमा करवाते रहेंगे। इसमें अनियमितता बरतने पर उन्हें प्रदत्त सुविधाओं से वंचित किया जा सकेगा।

15. यह कि, सदर संपत्ति प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के सिवाय अन्य किसी को दान, गिरवी, बिक्री, बक्षिस आदि द्वारा अंतरित नहीं की है तथा न ही सदर संपत्ति पर किसी के कर्ज, जमानत, मेंटेनेंस, अटैचमेंट, डिफेंडी आदि का कोई भार है। सदर संपत्ति पूर्णतः भार रहित है।

*[Handwritten Signature]*



॥ १ ॥


15. यह कि, सदर भवन में फायर फाईटिंग इक्विपमेंट्स लगाये जाते हैं तो उसमें होने वाले व्यय की आनुपातिक राशि द्वितीयपक्ष भी अन्य ओनर्स की भांति वहन करेंगे।

17. यह कि, सदर संपत्ति पर द्वितीयपक्ष इस विक्रय-लेख के जरिये अपना नायांतरण समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय व स्थानीय कार्यालयों में करवा सकेंगे। इस हेतु प्रथमपक्ष के हस्ताक्षर, उपस्थिति तथा बयान आदि का पूर्ण सहयोग प्रथम पक्ष, द्वितीयपक्ष को प्रदान करेंगे।

18. यह कि, सदर संपत्ति द्वितीयपक्ष ऋण प्राप्त हेतु किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था आदि में गिरवी रख सकेंगे।

19. यह कि, सदर संपत्ति में अवैध विस्फोटक व दुर्गन्धयुक्त वस्तु संग्रहित नहीं कर सकेंगे तथा न ही सदर संपत्ति में अवैध गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी तथा न ही प्रतिबंधित वस्तुएं रखी जा सकेंगी।

20. यह कि, द्वितीयपक्ष को सदर संपत्ति के अलावा भवन के अन्य किसी भी हिस्से पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं रहेगा। प्रथमपक्ष सदर संपत्ति को छेड़कर शेष किसी भी भाग पर किसी भी प्रकार का निर्माण कर उसे अन्य किसी को किसी भी प्रकार से अंतरित कर सकेंगे। सदर भवन के आखिरी मंजिल की छत की मालकी भी प्रथमपक्ष की रहेगी तथा वे उसका उपयोग व उपभोग, बिक्री आदि अपनी इच्छानुसार कर सकेंगे तथा वे सदर छत पर अन्य मंजिलों का निर्माण अनुमति प्राप्त करके करवा सकेंगे। इसमें द्वितीयपक्ष आपत्ति नहीं कर सकेंगे। साथ ही प्रथमपक्ष द्वारा किये जाने वाले व किये जा रहे निर्माण में द्वितीयपक्ष किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।



॥ 10 ॥

21. यह कि, जिल्लियपक्ष सदर संपत्ति में ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकेंगे जिससे सदर भवन की शोभा को कोई क्षति पहुंचती हो।

22. यह कि प्रथमपक्ष ने म.प्र. प्रकोष्ठ सहस्वामित्व भवन अधिनियम 1976 के अंतर्गत घोषणा पत्र पंजीकृत करवा लिया है तथा म.प्र. प्रकोष्ठ सह स्वामित्व भवन अधिनियम 1976 के समस्त प्रावधान जिल्लियपक्ष पर पूर्ण रूप से बंधनकारक रहेंगे।

अतः यह विक्रय-लेख प्रथम पक्ष « विक्रेता संस्था » ने जिल्लियपक्ष « क्रेतापक्ष » के हित में, अपनी राजी खुशी से, सोच-समझकर, स्वस्थचित्तवस्था में बगैर किसी दबाव के निम्नलिखित गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया सो सही ताकि सनद रहे व वक्त-जरूरत काम आवे।

इति, इन्दौर, दिनांक 17-4-1997

सही निष्पादक की,

साक्षीगण

1. *(Handwritten signature)*

नाम *(Handwritten name)*

पता *(Handwritten address)*

2. *(Handwritten signature)*

नाम *(Handwritten name)*

पता *(Handwritten address)*

उक्त लेख का प्रारूप मेरे द्वारा

तैयार किया गया है।

*(Handwritten signature)*

एम.के.साहू, एडवोकेट

45 बल्लभनगर इन्दौर म.प्र.

फोन : 533784, 532151, आ 64819

1390

11-4-97


255

4

17 APR 1997

भाज लोक... पत्र...  
 1995 का...  
 2098 265 17  
 283 283 5  
 [Signature]


आयत शुल्क रु...  
 नसी शुल्क रु... 1589 1852  
 बुका शुल्क रु... 5  
 1594 1862  
 [Signature]  
 17/4/97



GROUND FL PLAN




FIRST FL PLAN



SECOND FL PLAN



THIRD FL PLAN



R O A Diagram

PROPOSED PLAN OF PNO.116 AT  
VIDHYA NAGAR INDORE  
B-TO MANJOYTI GRAH NIRMAH  
SAHAKARI SANTHA HARJERT


SCALE 1:300

AREA STATEMENT


PLOT AREA = 14.46 x 20.57 = 296.58 sqm  
 P.P. AREA = 112.84  
 PROP. AREA = 10.28 x 14.47 = 148.50  
 PROVISION. PARKING = 10.63 sqm  
 1) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 2) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 3) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 4) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 5) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 6) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 7) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 8) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 9) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 10) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 11) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 12) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 13) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 14) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 15) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 16) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 17) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 18) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 19) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 20) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 21) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 22) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 23) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 24) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 25) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 26) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 27) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 28) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 29) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 30) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 31) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 32) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 33) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 34) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 35) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 36) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 37) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 38) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 39) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 40) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 41) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 42) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 43) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 44) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 45) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 46) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 47) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 48) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 49) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 50) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 51) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 52) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 53) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 54) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 55) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 56) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 57) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 58) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 59) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 60) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 61) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 62) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 63) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 64) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 65) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 66) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 67) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 68) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 69) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 70) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 71) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 72) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 73) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 74) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 75) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 76) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 77) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 78) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 79) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 80) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 81) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 82) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 83) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 84) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 85) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 86) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 87) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 88) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 89) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 90) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 91) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 92) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 93) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 94) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 95) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 96) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 97) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 98) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 99) 10.63 x 1.5 = 15.945  
 100) 10.63 x 1.5 = 15.945

FRONT ELEVATION

SIDE ELEVATION



SECTION AT A-A



SECTION AT B-B

Basera Asso.  
Architect: T. L. ENGLISH  
103 PANCHSATI NAGAR  
PLOT NO. 28 A/104

BASERA ASSO.  
ARCHITECT: T. L. ENGLISH  
103 PANCHSATI NAGAR  
PLOT NO. 28 A/104